हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अमरसिंह बनाम केदार मु. सं. 67/2021	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

-2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बल्लूपुरा तह० महवा में स्थित है जो कि सायल व गैर सायलान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। सायल व गैरसायलान द्वारा अपनी समस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है बाहमी बंटवारे में ख०नं० 1046 सायल के हिस्से व कब्जे में है सायल ही कब्जा काश्त कर रहा है लेकिन गैरसायलान अब मेरे हिस्से में आयी भूमि ख०नं० 1046 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा सायल को बेदखल करना चाहते है। इसलिए सायल ने गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के लिए निवेदन किया है। सायल की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। विवादित भूमि सायल की सहखातेदारी की भूमि है तथा बाहमी बंटवारे से सायल के कब्जे काश्त में है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः गैर सायलान 1 लगायत 3 को बाद के निस्तारण तक (नालिश्त) अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बल्लूपुरा तहसील महवा स्थित आराजी खसरा 1046 रकबा 0.25 हैक्टेयर में सायल के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं शामिल मूल वाद रहे।

पुनश्च: गैरसायलान को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने पश्चात नोटिस जारी किये गये लेकिन बावजूद तामील गैर सायलान अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29.6.2021 को एकपक्षीय [illegible] की गई थी। अतः
[illegible]